

आदेश

श्रीमति मोनिका कुमारी पत्नी श्री दीपक कुमार, सरपंच, ग्राम पंचायत फतेहपुर, खण्ड अटेली नांगल, जिला महेन्द्रगढ़ स्थित नारनौल द्वारा सरपंच पद से दिया गया त्याग पत्र/शपथ पत्र दिनांक 08.04.2025 जो उपायुक्त, महेन्द्रगढ़ स्थित नारनौल के सिफारिश पत्र क्रमांक 2583 दिनांक 13.06.2025 द्वारा प्राप्त हुआ है, को हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 5 के अन्तर्गत तत्काल प्रभाव से स्वीकृत किया जाता है।

चण्डीगढ़, दिनांक
24.06.2025

दुष्मंता कुमार बैहेरा, आई0ए0एस0
महानिदेशक विकास एवं पंचायत विभाग,
हरियाणा, चण्डीगढ़।

पृ० क्रमांक ई0सी0ए05-2025/ 36268-13 दिनांक : 1/7/25

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. राज्य चुनाव आयोग, हरियाणा, निर्वाचन सदन, प्लॉट नं० 2, सैक्टर-17, पंचकूला।
2. उपायुक्त, जिला महेन्द्रगढ़ स्थित नारनौल को उनके सिफारिश पत्र क्रमांक 2583 दिनांक 13.06.2025 के संदर्भ में।
3. जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी, महेन्द्रगढ़ स्थित नारनौल।
4. खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी, अटेल नांगल (जिला महेन्द्रगढ़ स्थित नारनौल)।
5. श्रीमति मोनिका कुमारी पत्नी श्री दीपक कुमार, निवासीयान गाँव फतेहपुर, तहसील अटेली नांगल, जिला महेन्द्रगढ़ स्थित नारनौल।
6. आई0टी0 सैल, मुख्यालय।

Sh. Mohit/SL. Goring

u. chaur

सहायक निदेशक

कृते: महानिदेशक, विकास एवं पंचायत विभाग
हरियाणा, चण्डीगढ़।

R